

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

APP-A  
Crim-I

इस फर्द में उक्त  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में जारी हुए  
है।

जज अदालत

(नियम 26)

2019/00129

जज अदालत अति जिला कलेक्टर मुकाम मुंमुं

प्रशान्त शुक्ला पुत्र सोमप्रकाश बनाम सरकार जरिये नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नं. 51 सन् 2019 दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

24.11.2019 यह अपील सखीकेट श्री राजेश बागोरिया द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जाँच पेश हुई। अपील दर्ज अपील रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलबों पर रेस्पोंडेंट की तलबी जारी हो। रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.12.19 को पेश हो।

13/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पी. ओ. साहब आज रजिस्ट्रार/अवकाश/अहकाम पर हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 31/12 को पेश हो।  
अति. जिला कलेक्टर  
मुंमुं

31/12

वकील अपीलान्त उप.। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 31/12 को पेश हो।  
अति. जिला कलेक्टर  
मुंमुं

5/12/20

वकील अपीलान्त उप.। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19/12/20 को पेश हो।  
अति. जिला कलेक्टर  
मुंमुं

19/12/20

पत्रावली वास्ते पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 31/12 को पेश हो।  
अति. जिला कलेक्टर  
मुंमुं

89  
19-2-20



16/10/20

पत्रावली पेश हुई। अभिमानक सूच द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली मृत आदेशानुसार दिनांक 11/11/20 को पेश हो।

अति. जिला कलेक्टर  
सुंहरुं

4-11-20

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ उपस्थित। पत्रावली वास्तु तत्की अपील व मिसल मातहत दिनांक 18-11-20 को पेश हो। 48

अति. जिला कलेक्टर  
सुंहरुं

18/11/20

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ उप.। पत्रावली वास्तु तत्की मिसल मातहत दिनांक 31/12/20 को पेश हो। 48

अति. जिला कलेक्टर  
सुंहरुं

31/12/20

पत्रावली पेश हुई। अतिशय शंका द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। अतिरिक्त न्यायलय कि पत्रावली शामिल कि गई। पत्रावली वास्तु बटस दिनांक 11/1/21 को पेश हो। 48

अति. जिला कलेक्टर  
सुंहरुं

4/1/21

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ उप.। पत्रावली वास्तु बटस दिनांक 18/1/21 को पेश हो। 48

अति. जिला कलेक्टर  
सुंहरुं

18/1/21

पत्रावली पेश हुई। विज्ञान अचिवस्ता उमय पक्ष उपस्थित। बटस अंतिम सुनी गई। विज्ञान अचिवस्ता अपीलार्थ का क्वेन है कि विवादित अतिशय न. 436, 437 गज वषा के संबंध में वन विभाग में म. न 4/19 एवं म. न 14/20 के तदनुसार विधाना के मु. स 115/19 दोनों में वेदवली के आदेश पारित उमे है।

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

दोना में विवाहिक भूमि रुक भी है  
 वन विभाग के नैवखली के अधिदेश  
 से भौंडे से अविक्रयण हटाया जा  
 चुका है। यदि तैक बिजोई में  
 भी हु.म. 115/19 की कार्यवाही द्रुप  
 करने हेतु लिखा गया है। अतः  
 पत्रवाही में अधिवाही अधीनस्थ न्यायालय  
 भागव नदगीलतार विधान द्रुप  
 होने योग्य है। पत्रवाही का अन्वय  
 किया गया विद्वान अधिवक्ता को  
 बहस पर मनन किया गया। पत्रवाही  
 के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते  
 हुये अपील अपीलार्थ धारणीय  
 होने से खारिज की जाती है।  
 अधिदेश सुनाया गया। पत्रवाही फँसल  
 मुहाल लेकर 27 नवंबर से काम  
 हो तबका काद लकमील जावता  
 दाखिल दफ्तर हो।

जा.प.  
 जिला कलेक्टर  
 हुन्डनू

हु.म. 115/19 की कार्यवाही द्रुप करने हेतु लिखा गया है। अतः पत्रवाही में अधिवाही अधीनस्थ न्यायालय भागव नदगीलतार विधान द्रुप होने योग्य है। पत्रवाही का अन्वय किया गया विद्वान अधिवक्ता को बहस पर मनन किया गया। पत्रवाही के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलार्थ धारणीय होने से खारिज की जाती है। अधिदेश सुनाया गया। पत्रवाही फँसल मुहाल लेकर 27 नवंबर से काम हो तबका काद लकमील जावता दाखिल दफ्तर हो।

11/81